अपील सूचना अधिकार संख्या 74/2018 (RCMS 2018/00189) श्री पुरूषोतम सिंह गांव बुलाडेवाल पोस्ट ऑफिस बहमन दीवाना भटिण्डा, पंजाब बनाम उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

07.08.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी पुरूषोतम सिंह स्वयं उपस्थित नही। अप्रार्थी उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि **अपीलार्थी ने** लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 30.08.2018 को प्रस्तुत करके सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री पुरूषोतम सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.08.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से निम्न सूचना चाही थी:

> Please provide the attested true copy (NAKAL) of the order of SDM, Raisinghnagar (Rajasthan) order no. 1966 dated 27.03.1991 there were issued to Tehsildar Gharsana (Rajasthan) for registering KHATEDARI in the name of Amar Singh Rajvi, Rajinder Singh, Surinder Singhm Narpat Singh etc. in 23 AS Gharsana(Rajasthan)

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक सूकाअ/18/03 दिनांक 02.01.2019 से निम्नानुसार जवाब दिया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी श्री पुरूषोतम सिंह द्वारा सूचना के अधिकार में चाही गई सूचना तहसीलदार, घडसाना से सम्बन्धित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 2069 दिनांक 13.09.2018 द्वारा सूचना सम्बन्धित को उपलब्ध करवाने के लिए प्रार्थना पत्र भिजवाया गया था। तहसीलदार, घडसाना के पत्रांक टीआरए/549 दिनांक 05.11.2018 द्वारा अवगत करवाया गया है कि अनवान् प्रकरण में अमर सिंह राजबी, राजेन्द्र सिंह, गुरिन्द्र सिंह, नरपत सिंह वगैरहा साकिन 23 ए एस के नाम से तहसीलदार, घडसाना द्वारा जारी खातेदारी सनद की सत्य प्रतिलिपि चाही गई, क्योंकि उक्त सूचना दी जानी सम्भव नहीं है चूंकि वर्ष 2004 में हुई आगजनी के दौरान समस्त रिकॉर्ड जल चुका है तथा वर्ष 2004 से पूर्व में उक्त के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। अतः तहसीलदार, घड़साना से प्राप्त पत्र क्रमांक टीआरए/549 दिनांक 05.11.2018 की प्रति संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्न : उक्तानुसार।

-sd-
उप जिला कलक्टर
रायसिंहनगर

तहसीलदार, राजस्व, घडसाना ने अपने पत्रांक टी.आर.ए./549 दिनांक 05.11.2018 से उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषय के अन्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण में सूचना के अधिकार के अन्तर्गत अमरसिंह राजवी, राजेन्द्र सिंह, सुरिन्द्र सिंह, नरपत सिह, वगैरहा साकिन 23 एएस के नाम से श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, महोदय रायसिंहनगर क्रमांक 1966 दिनांक 27.03.1991 द्वारा श्रीमान् तहसीलदार, घड़साना जारी खातेदारी सनद की सत्य प्रतिलिपि चाही गई। श्रीमान्जी उक्त सूचना दी जानी सम्भव नहीं है चूंकि वर्ष 2004 में हुई आगजनी के दौरान समस्त रिकॉर्ड जल चुका है। अतः वर्ष 2004 से पूर्व में उक्त के सम्बन्ध में कोई भी सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवा में प्रस्तुत है।

-sd-
तहसीलदार (राजस्व)
घड़साना

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** चूंकि उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के प्रतिवेदन के अनुसार समस्त रिकॉर्ड आगजनी में जल चुका है **इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर